



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/अधि०अभि०/2019-20 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगम कार्य हित में अधोलिखित अधिशासी अभियन्ता को स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/ गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् नव तैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री देश राज सिंह सोनी (97108)/मैनपुरी/31.08.2023	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, मेरठ।	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड- प्रथम, मवाना। (श्री संदीप कुमार निर्भय के निलम्बन से रिक्त हुये पद पर)

- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप सं०: 430-ज०श०एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2019-100(1)प्र०सु०/92 दिनांक 03.06.2019 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के बिन्दु सं० 9(i) एवं 9(ii) में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि स्थानान्तरण अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक **7328** /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा० तददिनांक : **28-08-2019**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय)/(नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०, पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मवाना/विद्युत परीक्षण खण्ड,-2, मेरठ।
- उपसचिव अ०प्र०-(2अ)/गोपन अनुभाग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
- संबन्धित अधिकारी।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- व्यक्तिगत पत्रावली/कट फाइल।

M.H.M.

(एन०के० अरोड़ा)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)

दूरभाष : 0121-2665734
फैक्स : 0121-2666062
CIN : U31200UP2003SGC027458



कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/कार्य आवंटन दिनांक

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निगम कार्य हित में आदेशित किया जाता है कि श्री पंकज गोयल (अभि० सं०: 911118), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मेरठ अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त रूप से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-द्वितीय, मेरठ के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय एवं भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 7329 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/ तददिनांक : 28-08-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी)/(वाणिज्य)/(वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।
8. अधिशासी अभियन्ता, वि०न०परी०ख०, मेरठ/वि०परी०ख०-2, मेरठ।
9. संबंधित अधिकारी।
10. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
11. वैयक्तिक पत्रावली।
12. कट फाइल।

M. K. Sharma

(एन०के० अरोड़ा)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)



पत्रांक : /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/प्रशा०/स्था०/सहा०अभि०/2019-20 दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता को निगम कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उसके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम (अभि०सं०)/ गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् नव तैनाती कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1	श्री राजेश कुमार (2014276) /औरेया / 31.01.2033	सहायक अभियन्ता (सम्बद्ध), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।	उपखण्ड अधिकारी-प्रथम (मवाना टा०) अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मवाना। (श्री नरेश कुमार राठौर के निलम्बन से रिक्त हुये पद पर)


- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ता को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती स्थान में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन/निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप सं०: 430-ज०श०एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2019-100(1)प्र०सु०/92 दिनांक 03.06.2019 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के बिन्दु सं० 9(i) एवं 9(ii) में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरण प्रक्रिया के दौरान स्थानान्तरित अधिकारी को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि स्थानान्तरण अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-01 दिनांक 11.06.01 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 7330 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/ तददिनांक 28-08-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/ (वाणिज्य)/ (वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/ (मा०संसा० एवं प्रशा०)/ (वाणिज्य)/ जानपद (वि०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय एवं नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मवाना।
- उप सचिव (अ०प्र०-०४)/ (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
- संबंधित अधिकारी।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- वैयक्तिक पत्रावली।
- कट फाइल।


(एन०के० अरोड़ा)
निदेशक (का० एवं प्रशा०)